प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 14.08.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 06 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना सिहानीगेट द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सिहानीगेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 354ए भादवि व धारा 9/10 लैगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम,2012 में अभियुक्त अतीखान पुत्र मौ मुजीब खा निवासी झुग्गी झोपडी सरस्वती विहार थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 14.08.2026 को धारा-10 पॉक्सो में 06 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री के साथ घिनौना कृत्य कारित कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 24.09.2020 को थाना सिहानीगेट पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।